<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा</u>
<u>सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष</u>

<u>आ.अ.सं. 243 /इंदौर/2019</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2015-16</u>

श्री वृंदावन तायल, संधवा	बनाम	आयकर अधिकारी, सेंधवा
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएएसपीटी 7552 एल		

<u>आ.अ.सं. 248 /इंदौर/2019</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2015-16</u>

श्रीमती मधु तायल, सेंधवा	बनाम	आयकर अधिकारी, सेंधवा
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएएसपीटी 7549 के		

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री एस.एन.अग्रवाल तथा पंकज मोगरा, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	22.06.2021
उद्घोषणा तिथि	22.06.2021

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारितियों द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के अलग-अलग आदेशों दोनों दिनांक 15.01.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि निर्धारितियों ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत आवेदन किया है तथा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारितियों के आवेदन स्वीकार करके फार्म सं. 3 जारी किये गये हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने के इच्छुक नही हैं । निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं । हालांकि निर्धारिती आयकर अधिनियम के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर विविध आवेदन दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होंगे यदि आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 5 जारी नहीं किया जाता है ।

3. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

यह आदेश 22.06.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 22.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल